

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. \*375

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

जम्मू और कश्मीर, झारखंड और बिहार से प्राप्त प्रस्ताव

\*375. श्री जुगल किशोर शर्मा:

श्रीमती गीता कोडा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड, बिहार राज्य सरकार तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (यूटीए) से अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
- (ख) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

जम्मू और कश्मीर, झारखंड और बिहार से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 22.03.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. \*375 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन तथा राष्ट्रीय तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मेलों/महोत्सवों और पर्यटन संबंधी समारोहों के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पर्यटन मंत्रालय की उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच की जाती है और निर्दिष्ट प्रावधानों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्रशाद योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में विकास हेतु देवघर तथा पारसनाथ स्थलों को अभिज्ञात किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में झारखंड में 'बैद्यनाथजी धाम, देवघर के विकास' की परियोजना को स्वीकृति दी है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान झारखंड, बिहार राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रशाद तथा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची तथा मेलों/महोत्सवों तथा पर्यटन संबंधी समारोहों के आयोजन के लिए दी गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

तथापि यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजना की समीक्षा चल रही है और इसलिए जम्मू एवं कश्मीर, बिहार तथा झारखंड सहित किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी नई परियोजना की स्वीकृति पर अभी विचार नहीं किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

जम्मू और कश्मीर, झारखंड और बिहार से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 22.03.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. \*375 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

प्रशाद योजना

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	निर्मुक्त राशि
1.	झारखंड	2018-19	बैद्यनाथजीधाम, देवघर का विकास	39.13	20.58

स्वदेश दर्शन योजना

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी	परिपथ का नाम और वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	बिहार	ग्रामीण परिपथ (2017-18)	गांधी परिपथ का विकास: भित्तिहरवा-चंद्रहिया- तुर्कोलिया	44.65	22.33
2.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ (2017-18)	मंदार पहाड़ी और अंग प्रदेश का विकास	47.52	38.02
3.	झारखंड	ईको परिपथ (2018-19)	दलमा- चांडिल - गेतलसुद- बेतला नेशनल पार्क- मिर्चैया- नेतरहाट का विकास ।	52.72	15.07
4.	--	मार्गस्थ सुविधाओं का विकास (उप- योजना) (2018-19)	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी - गया; लखनऊ - अयोध्या - लखनऊ; गोरखपुर - कुशीनगर; कुशीनगर - गया - कुशीनगर में मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	17.93	12.29

मेले और त्यौहारों और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	बिहार	2019-20	बिहार राज्य में मेलों और त्योहारों के आयोजन के लिए सीएफए। (i) सोनपुर मेला और (ii) राजगीर महोत्सव	50.00	50.00
2.	झारखंड	2017-18	इटखोरी महोत्सव के लिए सीएफए	25.00	25.00
		2019-20	झारखंड राज्य में भैरवनाथ महोत्सव 27 से 28 सितंबर, 2019	50.00	50.00

			और शरद महोत्सव, नेहरूटहाट- अक्टूबर, 2019 - फरवरी, 2020 के आयोजन के लिए सीएफए		
--	--	--	--	--	--

\*\*\*\*\*